फटाफट खबरें

नशामुक्ति को जन आंदोलन बनाएं युवाः गवर्नर

■ NNBT न्यूज़, गोरखपुरः राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक कर नशामुक्ति को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। यह बात राज्यपाल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विवि के दीक्षांत में बुधवार को कही। समारोह में 20 मेधावियों को 46 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया।

केस की मूल फाइल गायब, वकील पर FIR

■ NBT न्यूज,गोंडाः पॉक्सो ऐक्ट के मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पर ही अदालत से मुकदमे की मूल सरकारी पत्रावली गायब कराने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अधिवक्ता श्यामधर शुक्ला और मुख्य आरोपित खलील पुत्र अजीमुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार किशोरी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में खलील पर केस दर्ज हुआ था।

बिना आदेश भेजा नोटिस, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

■ NBT रिपोर्ट, कानपुर : पान मसाला कंपनी और समाचार वेबसाइट के बीच चल रही कानूनी जंग के बीच वेबसाइट को नोटिस भेजना साइबर थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि अदालत के आदेश बिना भेजे गए नोटिस की शिकायत पर साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव को निलंबित कर दिया। वहीं, साइबर ठगी के मामले में फर्जी नोटिस जारी करने पर दो सिपाहियो धर्मेंद्र कुमार और शिव नरेश को भी निलंबित कर दिया गया है।

प्रेम विवाह की रंजिश में गोली मारकर हत्या

■ NBT न्यूज, सीतापुरः इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज हिस्ट्रीशीटर ने मंगलवार शाम दामाद के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। बेलामऊ खुर्द निवासी विजय विक्रम (55) मातिनपुर में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के बाद बाइक से घर लौटते समय ढोलई कला गांव और बेलामऊ के बीच गोली मारकर हत्चया कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि करीब छह माह पहले विजय के बेटे अंग्रेज ने बेलामऊ खुर्द निवासी बदलू की की बेटी से प्रेम विवाह किया था।

राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए अनुमति रद्द

■ NBT रिपोर्ट, प्रयागराजः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आठ अगस्त को प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले आयोजन स्थल पर संकट खड़ा हो गया है। केपी ट्रस्ट ने केपी कॉलेज मैदान की पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त कर दी है। ट्रस्ट ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे पत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश और कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों का हवाला दिया है। अनुमति रद्द होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एडीसीपी अजय शर्मा से मुलाकात की। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम आठ अगस्त को प्रयागराज में ही होगा, हालांकि नया स्थल अभी तय नहीं किया गया है।

ट्रेन में रखे ट्रॉली बैग से मिले शव के टुकड़े

■ NBT न्यूज, आगराः चेन्नै से दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में बुधवार सुबह ट्रॉली बैग के अंदर शव के टुकड़े पाए गए। जीआरपी के सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि एक यात्री ने जनरल कोच में रखे ट्रॉली बैग से दुर्गंध आने की सूचना दी थी। बैग पर चेन्ने का रैपर और टैग मिला है, जिससे आशंका है कि बैग चेन्नै से ही रखा गया होगा। बैग के अंदर हाथ का पंजा और पेट का हिस्सा मिला। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाने की आशंका सहित अन्य बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई है।

बैंक मैनेजर पर गबन की FIR

■ भाषा, भदोही : एसबीआई की गोधना शाखा के प्रबंधक ने पूर्व प्रबंधक पर गबन का केस दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार शाखा प्रबंधक अमित कुमार ने पूर्व प्रबंधक मधु सिंह पर खाताधारकों की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रबंधक ने कार्यकाल के दौरान पर्सनल लोन के कुछ खाते बंद किए और करीब 34,137 रुपये लाल बहादुर सिंह के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे।

पानी जैसी सब्जी, खिचड़ी में कीड़े तो कहीं हाथों में परोसा मिड-डे मील

- तीन जिलों के विद्यालयों में गंभीर लापरवाही उजागर
- वायरल विडियो और शिकायतों के बाद कार्रवाई, जांच के आदेश
- दो के प्रधानाचार्य निलंबित, 7 सहायक शिक्षकों और एक बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि

■ NBT न्यूज, सीतापुर/वाराणसी/प्रयागराज

सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित मिड डे मील (पीएम पोषण) योजना की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रदेश के तीन जिलों सीतापुर, बलिया और कौशाम्बी से सामने आए मामलों ने गुणवत्ता, निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं, पानी जैसी सब्जी और जमीन पर गिरी रोटी उठाकर परोसने का विडियो वायरल हुआ है, तो कहीं बच्चों के हाथों में रोटी-सब्जी थमा दी गई। इतना ही नहीं खिचड़ी में कीड़े मिलने पर बच्चों ने खाने से ही इनकार कर दिया। तीनों मामलों में जांच के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बलिया सीयर के कंपोजिट विद्यालय पलिया में विद्यार्थियों को थाली के बजाय हाथों में रोटी-सब्जी देने का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अफसरों ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जांच में मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर खामियां मिलने पर प्रधानाध्यापिका किरन देवी को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही सात सहायक शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, जबकि अनुदेशिका की संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सीतापुर महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में बच्चों को घटिया सब्जी के साथ जमीन पर गिरी रोटी उठाकर परोसने का विडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। डीएम के निर्देश पर बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बुधवार को विद्यालय पहुंच जांच की। आरोप सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया गया। वहीं, बीईओ उदयमणि पटेल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

प्रयागराज कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय चकमाहपुर पांडेमऊ में बुधवार को मिड डे मील के तहत परोसी गई खिचड़ी में कीड़े मिलने से बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि कई दिनों से खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा था और शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ। प्रधानाचार्य मदन कुमार ने खराब चावल मिलने का दावा करते हुए अधिकारियों को जानकारी देने की बात कही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए कमलेन्द्र कुशवाहा ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं।

उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से तलब किए रेकॉर्ड

HC जांचेगा, समय से क्यों नहीं करवाए जा सके पंचायत चुनाव

■ NBT न्यूज, लखनऊ

पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम दो साल पहले शुरू की जानी चाहिए। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया में हुई देरी पर यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने पर ही संविधान के अनुच्छेद 243-ई में निर्धारित पांच वर्ष की अवधि के भीतर पंचायत चुनाव करवाना संभव हो सकेगा।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने संजय कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया मई 2025 में शुरू की थी। इसके बावजूद अब तक पंचायत चुनाव नहीं हो सके हैं। पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। पीठ ने राज्य सरकार से रेकार्ड तलब किए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौजूदा पंचायत चुनाव पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं कराए जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह भी देखना चाहता है कि चुनाव कराने में देरी के पीछे राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति थी या फिर सरकार ने समय पर चुनाव कराने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

'न्यायिक फैसलों को भी तवज्जो नहीं देती पुलिस'

■ NBT रिपोर्ट, प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी पर पुलिस के रवैये को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कहा कि पुलिस अक्सर गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मिले मौलिक अधिकारों की घोर उपेक्षा करती है और उन्हें लागू करने वाले न्यायिक फैसलों को भी महत्व नहीं देती है।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश निरस्त करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी कई बार संदिग्धों को पहले से ही दोषी मान लेते हैं और गिरफ्तारी के वास्तविक आधार बताने की संवैधानिक बाध्यता का पालन नहीं करते। याचिकाकर्ता राकेश ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने पाया कि मामले में गिरफ्तारी ज्ञापन और सामान्य डायरी में केवल औपचारिक कारण दर्ज थे, जबकि वास्तविक आधार नहीं बताए गए।

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बेंच के गठन पर रोक

■ NBT रिपोर्ट, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन द्वारा 3 और 8 जुलाई 2026 को जारी उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिनके तहत कई मामलों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय बेंच गठित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार असोसिएशन, प्रयागराज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और राज्य सरकार को एक सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने तथा याचिकाकर्ताओं को उसके बाद एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

HC ने बोर्ड और राज्य सरकार से मांगा जवाब

HC के आदेश पर पांच मकान गिराए गए

■ NBT न्यूज, गोंडाः खरगूपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत विशुनापुर बेलभरिया के मजरा विशुनापुर में हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को अवैध रूप से बने पांच मकान जमींदोज कर दिए गए। पुलिस की मौजूदगी में रास्ते की जमीन पर कब्जा कर बने जुबेर, मोहम्मद मोईन, हसनैन, असजद और मोहसिन के मकानों पर बुलडोजर चला। अवैध निर्माण के चलते सड़क संकरी होने से आवागमन मुश्किल हो गया था।

खुले गड्ढों ने छीनी 4 मासूमों की जिंदगी

■ NBT न्यूज, वाराणसी

मीरजापुरः सड़क निर्माण के लिए खोदे पानी भरे गड्ढे में डूबे दो भाई

जौनपुरः बोरवेल के खुले गड्ढे में गिरने से दो बच्चों ने गंवाई जान

पूर्वांचल में निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी चार मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। हादसों के बाद परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसियों और जिम्मेदारों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

मीरजापुर के चील्ह क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव में गंगा नदी पर बन रहे पुल से जुड़ी सिक्स लेन सड़क परियोजना के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से सत्यम (10) और उसके भाई किशन (7) की मौत हो गई। दोनों बच्चे मंगलवार शाम खेलते-खेलते घर से करीब एक किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने गड्ढे में जा गिरे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। रात करीब 11:30 बजे दोनों के शव गड्ढे में मिले। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। एएसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि परिवारीजनों की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर जौनपुर जिले के बरसठी क्षेत्र के गारोपुर गांव में सड़क किनारे खुले बोरवेल के गड्ढे में गिरने से शिवम बिंद (6) और आ... बिंद (3) की मौत हो गई। दोनों बच्चे घर से करीब 300 मीटर दूर खेलते समय खुले गड्ढे में गिर गए थे।

टैंकर ने बस में मारी टक्कर, तीन की मौत

रॉन्ग साइड था टैंकर, हादसे में 24 यात्री गंभीर रूप से घायल 7 को कानपुर रेफर किया गया

■ NBT न्यूज हमीरपुर : सुमेरपुर के कुंडौरा गांव के पास एनएच-34 पर बुधवार देर शाम रॉन्ग साइड में दौड़ रहे डीजल टैंकर ने सामने से आ रही बस में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों चालकों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के साथ ही 24 यात्री फंस गए। चीखपुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायलों को किसी तरह निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर देखते हुए सात लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया है।

हादसे में महोबा डिपो की बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। हादसे की सूचना मिलते ही सुमेरपुर थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल, सीओ सदर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हाइवे पर हुए हादसे के कारण लंबा जाम लग गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही क्षतिग्रस्त वाहन हटवाए गए। इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।

इंडियन बैंक Indian Bank

शाखाः 25, सूरज कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग, हुसैनगंज, लखनऊ, पिन कोडः–226001

ई- नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 के पठित नियम 6(2) एवं 8(6) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी की सूचना

जैसाकि, इंडियन बैंक के बकायों के तथा उसमें वर्णितनुसार ब्याज की वसूली हेतु "जहाँ है जो है, जो कुछ भी है वहाँ पर" के आधार पर उसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का रचनात्मक कब्जा ले लिया है और जैसा कि बकायों का पुर्न भुगतान न करने के फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी कथित सम्पत्ति/यों की ई–नीलामी सेवाप्रदाता के माध्यम से बिक्री करके बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखता है। वर्तमान में सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपलब्ध है।

क्र. सं.	ऋणी/प्रोपराइटर/पाटनर्स/निदेशक/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति बंधक का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	(क) आरक्षित मूल्य (ख) धरोहर राशि (ग) ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण (घ) वृद्धि बोली राशि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि / ई–निलामी की तिथि व समय
1.	1. मेसर्स शिव गंगा इलेक्ट्रिकल्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/ऋणी), पताः 137, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, रवींद्र पल्ली कॉलोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ उ.प्र. पिन– 226016 2. अरुण कुमार सिंह बघेल पुत्र श्याम बहादुर सिंह बघेल (शिव गंगा इलेक्ट्रिकल्स में प्रोपराइटर/ऋणी) एवं अरुण कुमार सिंह बघेल पुत्र श्याम बहादुर सिंह बघेल (होम लोन में सह–ऋणी), 137, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, रवींद्र पल्ली कॉलोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ उ.प्र. पिन– 226016 अन्य पताः 4/161 विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. पिन–226010 3. श्रीमती लालमती सिंह पत्नी श्याम बहादुर सिंह बघेल (शिव गंगा इलेक्ट्रिकल्स में जमानतकर्ता/बंधककर्ता) एवं श्रीमती लालमती सिंह पत्नी श्याम बहादुर सिंह बघेल (होम लोन में ऋणी/बंधककर्ता), 137, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, रवींद्र पल्ली कॉलोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ उ.प्र. पिन– 226016 अन्य पताः 4/161 विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. पिन–226010	आवासीय भवन (जी+2 ऊपरी मंज़िल), मकान सं. 4/161, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. पिन–226010, बुक सं. 1, जिल्द सं. 4224, पृष्ठ सं. 351–372 क्रमांक 3394/98 में दिनांक 07.04.1998 को उप–रजिस्ट्रार–I, जिला लखनऊ में पंजीकृत, **मालिकः** श्रीमती लालमती देवी पत्नी श्री श्याम बहादुर बघेल CERSAI ID: Asset ID-200009392150 Security Interest ID-400009408812	02.05.2026 / 17.07.2026 / रू. 1,02,69,134.00 दिनांक 02.05.2026 तक + ब्याज + लागत, अन्य शुल्क एवं उस पर खर्चे	(क) रू. 2,95,00,000/- (ख) रू. 29,50,000/- (ग) 6127853725 IFSC: IDIB000H561 हजरतगंज शाखा (घ) रू. 10,000/-	दिनांक 14.09.2026, सायं 07.00 बजे तक / दिनांक 15.09.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.30 बजे

बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in	ई–नीलामी की वेबसाइट	दस्तावेज (बिक्री सूचना फोटो)	सम्पत्ति का स्थान	सम्पत्ति का विडियो	सम्पत्ति का फोटो	प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबन्धक का नाम व मोबाईल नम्बर
						प्राधिकृत अधिकारीः आलोक शर्मा, मोबाइलः 9818006825 शाखा प्रबंधकः आलोक शर्मा, मोबाइलः 9818006825

इच्छुक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज, संपत्ति और उसके निरीक्षण के बारे में सत्यापन के लिए इंडियन बैंक, उपरोक्त शाखा से कार्यालय समय में दिनांक 14.09.2026 से पहले संपर्क कर सकते हैं एवं नीलामी से संबंधित जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी और नियम एवं शर्तें डाउनलोड करने के लिए कृपया देखें– https://www.baanknet.com
सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं को बिक्री सूचना के बारे में अधिसूचित किया जाता है।

बिक्री सूचना की तिथिः 04.08.2026 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालय, नियर रोडवेज बस स्टैंड गोण्डा (उ.प्र.) - 271001

ई- नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 के पठित नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी की सूचना

जैसाकि, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) के बकायों के तथा उसमें वर्णितनुसार ब्याज की वसूली हेतु "जहाँ है जो है, जो कुछ भी है वहाँ पर" के आधार पर उसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का रचनात्मक कब्जा ले लिया है और जैसा कि बकायों का पुर्न भुगतान न करने के फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी कथित सम्पत्ति/यों की ई–नीलामी सेवाप्रदाता के माध्यम से बिक्री करके बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखता है। वर्तमान में सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपलब्ध है।

क्र. सं.	ऋणी/प्रोपराइटर/पाटनर्स/निदेशक/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति बंधक का विवरण एवं सम्पत्ति आईडी	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	(क) आरक्षित मूल्य (ख) धरोहर राशि (ग) ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण (घ) वृद्धि बोली राशि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि / ई–निलामी की तिथि व समय
शाखाः रानीपुर शाखा, प्राधिकृत अधिकारी जयशील शर्मा, मो0- 9026371110 एवं शाखा प्रबन्धकः- आदित्य, मो0- 8677901839					
1.	1. मेसर्स संतोष इंटरलॉकिंग उद्योग (ऋणी), प्रोप. श्री संतोष कुमार यादव पुत्र श्री समय दीन, इकाई का पताः ग्राम– अर्जुनपुर, बौरिहा, जिला– गोण्डा उ.प्र.– 271123 2. श्री संतोष कुमार यादव (ऋणी, बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता) पुत्र श्री समय दीन, निवासी ग्राम– अर्जुनपुर, बौरिहा, जिला– गोण्डा उ.प्र.– 271123	एक किता आवासीय प्लॉट स्थित गाटा संख्या 213/0.114 हेक्टेयर, ग्राम– गोलहीपुर, परगना– महादेवा, तहसील– तरबगंज, ज़िला– गोण्डा, बंधक विलेख, उप–रजिस्ट्रार तरबगंज दिनांक 14.11.2023 को पंजीकृत क्रमांक 10007, बही सं. 1, जिल्द सं. 6422, पृष्ठ सं. 341–360, **क्षेत्रफलः 9796 वर्ग फीट, चौहद्दीः पूर्वः** सड़क एवं ग्राम अर्जुनपुर की बाउण्ड्री; **पश्चिमः** नाला एवं उसके बाद गाटा संख्या 216; **उत्तरः** गाटा संख्या 212 में रास्ता; **दक्षिणः** गाटा संख्या 214, जोखू एवं अन्य के नाम संपत्ति आईडी संख्याः IDIB7661328393R	10.10.2025 / 07.01.2026 / रू. 20,61,698.00 दिनांक 09.10.2025 तक सहित दिनांक 10.10.2025 से उसपर अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क एवं खर्चे	(क) रू. 10.50 लाख (ख) रू. 1.05 लाख (ग) 50003515812 IFSC: IDIB000G593 गोण्डा मुख्य शाखा (घ) रू. 10,000/-	दिनांक 26.08.2026 तक / दिनांक 27.08.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल (https://www.baanknet.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, अपना eKYC पूरा करने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को दिनांक 26.08.2026 तक ईएमडी राशि अपने ई–वॉलेट में स्थानांतरित करनी होगी। पंजीकरण, eKYC और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए।
ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://www.baanknet.com) हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा। लिमिटेड, (सम्पर्कः 8291220220, ईमेल आईडीः– support.baanknet@psballiance.com). इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.baanknet.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है।

अधिक जानकारी और नियम एवं शर्तें डाउनलोड करने के लिए कृपया देखें– https://www.baanknet.com
सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं को बिक्री सूचना के बारे में अधिसूचित किया जाता है।

दिनांक : 03.08.2026 स्थानः गोण्डा प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, लखनऊ मेट्रो
द्वितीय तल, बड़ौदा हाऊस, वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, मो0:7565008656, ई मेल - sarluc@bankofbaroda.bank.in

ई-नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना

परिशिष्ट-IV-A नियम 8(6) के प्रावधान देखें

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतत्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक/सांकेतिक कब्जे में लिया गया है को बैंक के बकाया बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/जमानतकर्ता/प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र. सं.	ऋणियों/जमानतदारों का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, ज्ञात भार सहित, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित धनराशि/अग्रिम धनराशि/बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
ई-नीलामी की तिथि- 08.09.2026, दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 07.09.2026, दोपहर 02:00 बजे तक							
1	**ऋणीः मेसर्स श्री विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज प्रो. श्री अवधेश कुमार शर्मा** पताः प्लॉट नंबर 51 भूमि का हिस्सा खसरा नंबर 867, ग्राम पलिया मसूदपुर, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी-225002, **श्री अवधेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० परमानंद शर्मा** निवासी 631/173, शिव मंदिर के पास, शिवपुरी, कमता चिनहट, लखनऊ-226028 **जमानतकर्ताः 1. श्री अभिषेक शर्मा, 2. श्री जितेंद्र कुमार शर्मा दोनों पुत्र स्व० परमानंद शर्मा एवं** दोनों निवासी 631/173, शिव मंदिर के पास, शिवपुरी, कमता चिनहट, लखनऊ - 226028 **3. श्रीमती शोभा देवी पत्नी इंद्रजीत शर्मा** निवासी ग्राम नरकटिया नौतन, सेमरिया, सीवान, बिहार - 841243	सम्पत्ति का सभी भाग एवं खण्ड जिसमें प्लॉट संख्या 51 भूमि का हिस्सा खसरा नंबर 867 शामिल है, जो कि ग्राम पलिया मसूदपुर, परगना देवां, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में स्थित है। क्षेत्रफलः 185.80 वर्ग मीटर। **चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार): उत्तरः** विक्रेता का प्लॉट; **दक्षिणः** कच्चा रास्ता 25 फिट; **पूर्वः** रोड; **पश्चिमः** विक्रेता का प्लॉट। **भारः** ज्ञात नहीं	रू. 1,11,89,307.67 दिनांक 31.07.2026 तक + तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य खर्च	08.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे	रू. 50,20,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 5,02,000/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	भौतिक	06.08.202 से 07.09.202 समय 10:00 AM से 4:00 PM
2	**ऋणीः 1. श्रीमती सविता सिंह स्व० डॉ. विनोद कुमार सिंह की पत्नी एवं कानूनी उत्तराधिकारी, 2. श्री सत्यम सिंह स्व० डॉ. विनोद कुमार सिंह के पुत्र एवं कानूनी उत्तराधिकारी एवं सुश्री सौम्या सिंह स्व० डॉ. विनोद कुमार सिंह की पुत्री एवं कानूनी उत्तराधिकारी** सभी निवासी - 408/ए, राजा राहुल सिटी, राम सेवक पुरम कॉलोनी के पास, हरिहरपुर नीलमथा कैंट, लखनऊ, यूपी 226002	आवासीय प्लॉट का साम्यिक बंधक, यह भूमि पुराने चक नंबर 291, गाटा नंबर 1122, मौजूदा खसरा नंबर 893 का हिस्सा है एवं ग्राम सरसावां, तहसील सरोजिनी नगर, ज़िला लखनऊ में स्थित है; इसका कुल क्षेत्रफल 143.029 वर्ग मीटर है जो कि स्व० डॉ. विनोद कुमार सिंह के नाम है। **चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार): उत्तरः** द्विवेदी एवं अन्य का प्लॉट; **दक्षिणः** 20 फीट चौड़ी सड़क; **पूर्वः** विक्रेता (राज बख्श सिंह) के खसरा नंबर 893 की बची हुई भूमि; **पश्चिमः** विजय सिंह का प्लॉट। **भारः** ज्ञात नहीं	रू. 79,08,098.45 दिनांक 31.07.2026 तक + तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य खर्च	08.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे	रू. 71,00,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 7,10,000/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	06.08.202 से 07.09.202 समय 10:00 AM से 4:00 PM
3	**ऋणीः मेसर्स दि क्लाइमेटाइजर्स प्रो0 - श्री रविजोत पसरीचा पुत्र भूपिंदर सिंह पसरीचा** पताः मकान नंबर- 5, मीराबाई मार्ग, कर भवन के बगल में, लखनऊ-226010 इसके अलावाः मकान नंबर- 5/352, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 **जमानतकर्ताः 1. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी भूपिंदर सिंह पसरीचा, 2. श्री हर्ष पसरीचा पुत्र भूपिंदर सिंह पसरीचा एवं 3. श्री भूपिंदर पसरीचा पुत्र संत सिंह पसरीचा** सभी का पताः मकान नंबर- 5, मीराबाई मार्ग, कर भवन के बगल में, लखनऊ-226010 इसके अलावाः मकान नंबर- 5/352, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010	(1) प्लॉट नंबर-3/18 पर स्थित कमर्शियल दुकान नंबर-5 निचले भू तल पर, जिसका क्षेत्रफल 10.87 वर्ग मीटर है एवं जो विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है, जो कि श्री हर्ष पसरीचा पुत्र श्री भूपिंदर पसरीचा के नाम पर है। **चौहद्दी- उत्तरः** अन्य की सम्पत्ति; **दक्षिणः** कॉमन पैसेज; **पूर्वः** दुकान नंबर-2; **पश्चिमः** दुकान नंबर-3 एवं 4 (2) प्लॉट नंबर-3/18 पर स्थित कमर्शियल दुकान नंबर-6 एवं 7 निचले भू तल पर, जिसका क्षेत्रफल 21.47 वर्ग मीटर है एवं जो विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है; जो कि श्री रविजोत पसरीचा पुत्र श्री भूपिंदर पसरीचा के नाम पर है। **चौहद्दीः उत्तरः** कॉमन पैसेज; **दक्षिणः** प्लॉट नंबर-3/17; **पूर्वः** दुकान नंबर-2; **पश्चिमः** कॉमन पैसेज। **भारः** ज्ञात नहीं	रू. 1,27,38,762.18 दिनांक 31.07.2026 तक + तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य खर्च	08.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे	सम्पत्ति 1. हेतु रू. 18,76,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 1,87,600/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि) सम्पत्ति 2. हेतु रू. 41,63,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 4,16,300/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	भौतिक	06.08.202 से 07.09.202 समय 10:00 AM से 4:00 PM
ई-नीलामी की तिथि- 23.09.2026, दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 22.09.2026, दोपहर 02:00 बजे तक							
4	**ऋणीः श्री शैलेश मणि त्रिपाठी एवं श्री ब्रिजेश मणि त्रिपाठी दोनों पुत्र सत्य नारायण त्रिपाठी** पताः- डी-73/8, सेक्टर-7, इंदिरा नगर, लखनऊ-226017, इसके अलावाः ग्राम एवं पोस्ट - पिकौरा शिवगुलाम पुरानी बस्ती, थाना-कोतवाली, जिला-बस्ती।	लखनऊ के जानकीपुरम योजना वार्ड, जानकीपुरम के सेक्टर एच में स्थित मकान नंबर ई-1/160/एच क्षेत्रफल 30.00 वर्ग मीटर का साम्यिक बंधक, जो कि श्री शैलेश मणि त्रिपाठी पुत्र सत्य नारायण त्रिपाठी एवं श्री बृजेश मणि त्रिपाठी पुत्र सत्य नारायण त्रिपाठी के नाम पर है। **चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार): उत्तरः** 9.00 मीटर चौड़ी सड़क; **दक्षिणः** मकान नंबर 1/181; **पूर्वः** मकान नंबर 1/159; **पश्चिमः** मकान नंबर 1/161 **भारः** ज्ञात नहीं	रू. 43,10,556.21 दिनांक 31.07.2026 तक + तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य खर्च	23.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे	रू. 24,33,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 2,43,300/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	भौतिक	06.08.202 से 22.09.202 समय 10:00 AM से 4:00 PM
5	**ऋणीः श्री सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिहर सिंह एवं श्रीमती निशा सिंह पत्नी श्री सूर्य प्रताप सिंह** दोनों का पताः- 645ए/1253, जानकी विहार कॉलोनी, जानकीपुरम, लखनऊ-226016	संपत्ति का सारा हिस्सा जिसमें (ईडब्ल्यूएस) हाउस नंबर- 281, सेक्टर जी शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 36.75 वर्ग मीटर है, जो कि जानकीपुरम, सीतापुर रोड, लखनऊ में स्थत है, जो कि सूर्य प्रताप सिंह पुत्र हरिहर सिंह के नाम पर है। **चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार): उत्तरः** मकान नंबर 282; **दक्षिणः** मकान नंबर 280; **पूर्वः** 6-मीटर चौड़ी सड़क; **पश्चिमः** मकान नंबर 256 **भारः** ज्ञात नहीं	रू. 46,09,566.12 दिनांक 31.07.2026 तक + तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य खर्च	23.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे	रू. 20,69,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 2,06,900/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	06.08.202 से 22.09.202 समय 10:00 AM से 4:00 PM

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए कृपया वेबसाइट लिंक https://bankofbaroda.bank.in/e&auction एवं ऑनलाइन नीलामी पोर्टल Baanknet.com प... जाएं। साथ ही, इच्छुक बोलीदाता मोबाइल नंबर 7565008656 पर अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 05.08.2026, स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा